प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2401-108-07-आलू विकास नीति, 2014 के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी में धनराशि रू0-8.45 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-148/बजट/2020-21, दिनांक-17.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-13/2021-269/58-2021-24/2019, दिनांक 10.03.2021 के अनुक्रम में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-108-07-उ0प्र0 आलू विकास नीति, 2014 का क्रियान्वयन के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में वर्णित मानक मद में कुल धनराशि रु0-8.45 लाख (रु0-आठ लाख पैंतालिस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अवमुक्त करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रु0 में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	कोड सं0/मद का नाम	धनराशि
अनुदान सं0-10 2401-फसल कृषि कर्म- 108-वाणिज्यिक फसलें- 07-उ0प्र0आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन	27-सब्सिडी	8.45
योग-		8.45

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020- 231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/ दस- 2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/ 2020/बी-1-218/दस-2020- 231/2020, दिनांक 18.05.2020 का अनुपालन निदेशक उद्यान एवं वित्त नियंत्रक उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति न किये जाने एवं आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

(4) धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का व्यय उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014 के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

http://shasanadse.up.gov.in

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध मेंं जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(10) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(11) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक, उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(12) यदि विभाग द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक उद्यान, वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(13) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(14) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शा0सं0 ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी-11 दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान छम्थ्ज्ध्त्ज्ळै के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार ही सुनिश्चित किया जाए।

(15) बायर सेलर मीट की रिपोर्ट निदेशक, उद्यान/प्रबन्ध निदेशक, हाफेड द्वारा शासन को आयोजन के बाद अलग से उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-108-07-30प्र0 आलू विकास नीति, 2014 का क्रियान्वयन के अन्तर्गत उपरोक्त मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या- /2021-751(1)/58-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadse.up.gov.in